



डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश शासन)

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर (म.प्र.)

दूरभाष (07324) 274377, 273186, 272830 फेक्स (07324) 272350, 273645

क्रमांक-ब्राउस/आऊटसोर्स/2022/216

दिनांक - 27.04.2022

निविदा

विश्वविद्यालय के बालक/बालिका छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण नाश्ता, सुबह-शाम का भोजन, शाम की चाय आदि की व्यवस्था मासिक न्यूनतम दर पर प्रदाय करने के लिए परिसर में कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक व्यवसायिक संगठनों से निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव डॉ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करें। निविदा की सेवाशर्तें कार्यालयीन दिवस में 5:00 बजे तक रु. 500/- निविदा शुल्क जमा कर सुरक्षा विभाग से प्राप्त की जा सकती है। निविदा, प्रकाशन दिनांक से 07 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेब साईड www.brauss.in पर देखें।


कुलसचिव



विश्वविद्यालय के बालक/बालिका छात्रावास के मैस एवं केन्टीन को टेके पर देने बाबद

क्र.	खाद्य/पेय/बेकरी सामग्री/पदार्थ	दर राशि रू.
1	खाना (मासिक) (नाश्ता, सुबह-शाम का भोजन,शाम की चाय)	
2	खाना (प्रति प्लेट) (5 चपाती, सब्जी, दाल, चावल, सलाद/अचार)	
3	खाना स्पेशल/लंच पेक/वेज	
4	सब्जी एवं पूड़ी	
5	चाय	
6	चाय सुपर	
7	कॉफी	
8	पोहा	
9	समोसा	
10	कचोरी	
11	जलेबी 100 ग्राम	
12	आलूबडा	
13	मैगी	
14	भेल	
15	बैक समोसा	
16	सेण्डविच/बाम्बे कच्चा	
17	सेण्डविच/मसाला	
18	सेण्डविच/चीज	
19	दलिया	
20	खिचडी	
21	फलहर खिचडी	
22	नमकिन प्रति कि.ग्रा./100 ग्राम	
23	ज्युस	
24	मोसंबी	
25	नींबु पानी	
26	पाईनापल	
27	ऑरेज	
28	नारियल पानी	
29	दही	
30	लस्सी	
31	छाछ	
32	आईसरिक्रम	

केन्टीन का किराया प्रतिमाह राशि रू.

प्रोप्रायटर के हस्ताक्षर







डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश शारान)

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर (म.प्र.)

दूरभाष (07324) 274377, 273186, 272830 फ़ैक्स (07324) 272350, 273645

क्रमांक-ब्राउस/आऊटसोर्स/2022/

दिनांक : 27.04.2022

निविदा शर्तें

1. बालक/बालिका छात्रावास में निवासरत छात्र/छात्राओं को मासिक दर पर चाय, नास्ता, भोजन की व्यवस्था रहेगा।
2. केन्टीन का ठेका एक वर्ष के लिये दिया जायेगा।
3. ठेकेदार द्वारा केन्टीन का मासिक किराया निविदा में अधिकतम दर जो विश्वविद्यालय को मान्य हो प्रतिमाह अग्रिम के रूप में देना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निम्नतम मासिक किराया राशि रु. 5000/- निर्धारित किया गया है। विद्युत एवं जल का शुल्क अलग से देय होगा।
4. ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय में रु. 10000/- (दस हजार मात्र) सुरक्षानिधि के रूप में जमा करना होगी, जो ठेका समाप्ति पर वापस की जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. एक माह की पूर्व सूचना देकर केन्टीन का ठेका निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। साथ ही यदि ठेकेदार केन्टीन का ठेका निरस्त कराना चाहता है, तो वह भी एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका निरस्त करा सकते है।
6. केन्टीन में जो भी पदार्थ रखे जावेंगे उनकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की हो।
7. केन्टीन में जो भी पदार्थ रखे जावेंगे उनकी दरें विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराना होगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार केन्टीन खोलना एवं बंद कराना होगी।
9. केन्टीन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किये गये, भवन, फर्नीचर एवं आदि को कोई क्षति नहीं पहुचायेंगे। अन्यथा उसकी भरपाई ठेकेदार को करना होगी।
10. ठेकेदार एवं ठेकेदार द्वारा नियुक्त केन्टीन कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थी/कर्मचारी/ विश्वविद्यालय में रह रहे परिवारों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे तथा किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
11. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का कडाई से पालन करना होगा।
12. यदि ठेके से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निराकरण जहां तक संभव हो सके, आपसी समझौते से किया जावेगा। अन्यथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
13. यदि ठेकेदार द्वारा केन्टीन में उधारी की सुविधा प्रदान की जाती है तो वह उनका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा। विश्वविद्यालय इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
14. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी/अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर के अन्य किसी व्यक्ति को केन्टीन की सुविधा नहीं होगी।
15. केन्टीन में किसी प्रकार के नशीले/मादक पदार्थों का जैसे- शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि प्रदाय नहीं किया जावेगा।
16. केन्टीन में सिर्फ चाय, कॉफी, ठंडा पेय, नाश्ता, भोजन प्रदाय किया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि अन्य आवश्यकता हो तो उसके लिये पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

.....2

17. टेकेदार द्वारा यदि किसी संस्था में केन्टीन पूर्व में चलाई गई हो तो उसकी सूची एवं दूरभाष क्रमांक एवं शर्तें आदि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी।
18. मैस के सदस्यों को दिये जाने वाले भोजन में दाल-चावल, सब्जी, आचार, पापड़, सलाद रोटी/पुडी रहेगी जिसमें प्रतिदिन बदलाव किया जावेगा, रविवार स्पेशल (वेज) रहेगा इसकी सूचना विश्वविद्यालय को देनी होगी।
19. दोनों छात्रावास के वाडर्न समय-समय पर बनाये गये भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का निरीक्षण कर सुझाव देंगे जिसे केन्टीन संचालक को मान्य करना होगा।


कुलसचिव